21/5/25

14/5/25

पक्षा. चेम डी बउीन प्रार्थी एवं प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी एवं बउीन प्रार्थी को न्यायालय उपस्थित होने हेतु बार-2 आवाज लगवाई गई तत्पश्चात न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। चूंकि दावा वादी अकड़ दायिनी अकड़ चौकी में स्थानांतरित किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य शेष नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पक्षा. फैसल गुप्ता हो, नंबर में कम होकर दायित दस्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.10.28 10:16:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner